आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **बंदोबस्ती अपील** 16/2014 बलिया उराँव व अन्य बनाम राज्य **आदेश** अपील आवेदन–16/2014 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा वाद संख्या–02/2007 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा–89 के तहत् दायर किया गया था। निम्न् न्यायालय द्वारा दिनांक–18.12.2008 को आवेदक का दावा अस्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्ध वर्ष 2014 में बिना तिथि अंकित किये यह अपील दायर की गयी। वाद दायर करने के पश्चात् प्रथम सुनवाई के समय ही अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। इसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति दिनांक–10.10.2017 को दर्ज करायी गयी। उक्त तिथि के बाद अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित है। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया। अपीलार्थियों का दावा ग्राम–पीराघुटु, अंचल–बुढ़मू में अवस्थित 15 एकड़ 10 डिसमिल भूमि जो खाता नम्बर–44 में अवस्थित है से संबंधित है। प्रश्नगत् भूमि गैर मजरूआ मालिक के रूप में रामेश्वर साहू के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन्दार द्वारा सादा बिक्री पत्र से प्रश्नगत् भूमि आवेदक के पिता को 1954 में बिक्री की गयी। जमीन्दार द्वारा उक्त क्रेता के नाम से रसीद भी निर्गत की जाती रही। उक्त समय से ही अपीलार्थी प्रश्नगत् भूमि के दखल में है। वर्तमान सर्वे में प्रश्नगत् भूमि राज्य के नाम से दर्ज की गयी है, जिसमें नाम दर्ज करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया है। अपील दायर करने में हुये विलम्ब के लिये अपीलार्थी द्वारा सर्वे द्वारा जानकारी नहीं रहने एवं राज्य से बाहर रहने का उल्लेख किया गया है। राज्य के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् सादे कागज पर किये गये बिक्री पत्र की कोई कानूनन मान्यता नहीं है। प्रश्नगत् भूमि पर 1954 से आवेदकों के दखल के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं है। उक्त भूमि राज्य में निहित हो चुकी है। अतः इस कालबाधित अपील आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है।	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	अभिलेखों के अवलोकन एवं मूल न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। आवेदकों द्वारा 1954 में कथित सादा हुकूमनामा के आधार पर अपना दावा किया जा रहा है किन्तु उक्त भूमि पर उनके दखल के सम्पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक द्वारा निम्न् न्यायालय में भी कोई कागज उपलब्ध नहीं कराये जिस कारण उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया। इस न्यायालय में 07 वर्षों के पश्चात् मात्र अपील दायर की गयी किन्तु अपीलीय निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नहीं ली गयी। विगत् 04 वर्षों के अधिक समय से आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिससे कि निम्न न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता है। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.24 11:11:18 +05:30
Location: 10.93.72.187